बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

ग्रा0वि0 अधि0 सं0-...420 7594............पटना, दिनांक...13/06/2025......./

ग्रा0वि0-14(नि0को0)ट्रैप-03/2020

श्री राजीव रंजन कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकर, वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक-31.12.2019 को परिवादी श्री पुरूषोत्तम कुमार से 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को कारा निरोध की तिथि 31.12.2019 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

कारा से मुक्त होने के उपरान्त श्री कुमार द्वारा दिनांक 04.03.2020 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या- 461973 दिनांक 14.05.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(3)(i) के आलोक में श्री कुमार को निलंबनमुक्त करते हुए दिनांक 04.03.2020 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध गंभीर कदाचार/ भ्रष्टाचार का आरोप होने तथा इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 054/2019 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 461983 दिनांक 14.05.2020 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के आलोक में योगदान की तिथि 04.03.2020 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

श्री कुमार के निलंबन अवधि 6 माह से अधिक होने एवं श्री कुमार के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक- 23.12.2020 एवं उसके साथ संलग्न श्री प्रेमराज चौहान, पुलिस निरीक्षक-सह-अनुसंधानकर्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2020 के समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा श्री कुमार को निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया । विभागीय अधिसूचना सं0-366091 दिनांक- 21.01.2021 द्वारा श्री कुमार को निलबंन से मुक्त किया गया ।

चूँकि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक- 313 दिनांक- 02.03.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री कुमार के विरूद्ध उल्लेखित निगरानी थाना कांड में अंतिम प्रतिवेदन (साक्ष्य की कमी) संख्या-50/2020 दिनांक- 25.11.2020 सक्षम न्यायालय (निगरानी कोर्ट) में समर्पित किया गया एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक- 14.08.2023 के साथ संलग्न माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, निगरानी मुजफ्फरपुर द्वारा निगरानी थाना कांड सं0-54/2019 विशेष वाद सं0- 01/2020 में पारित आदेश दिनांक- 13.06.2023 में अंतिम प्रपत्र संख्या-50/2020 दिनांक- 25.11.2020 साक्ष्य की कमी के कारण स्वीकृत किया गया । विभाग द्वारा समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0- 2364154 दिनांक- 11.12.2023 द्वारा श्री कुमार को आरोप से मुक्त किया गया ।

श्री कुमार के द्वारा दिनांक- 23.01.2024 को समर्पित आवेदन में निलंबन अवधि दिनांक- 31.12.2019 से दिनांक- 21.01.2021 तक का वेतन भुगतान का आग्रह विभाग से किया गया है । समीक्षोपरांत दिनांक-31.12.2019 से दिनांक- 21.01.2021 तक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 (3) के तहत निलंबन अवधि के वेतन भुगतान का आदेश प्राप्त है ।

अतः श्री राजीव रंजन कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकर, वैशाली संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी का, निलंबन अवधि दिनांक-31.12.2019 से दिनांक- 21.01.2021 के पूर्ण माह का वेतन भुगतान (पूर्व में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए) करने की स्वीकृति दी जाती है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10.6.25

(मन्जु प्रसाद)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः- 4207594/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 13/06/2025

परिचारी बही

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः- 4207594/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 13/06/2025

परिचारी बही/निबंधित /ईमेल

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, वैशाली / जिला पदाधिकारी, मधुबनी/ जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली / जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी / उप विकास आयुक्त, वैशाली /उप विकास आयुक्त, मधुबनी/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 / प्रभारी पदाधिकारी (लेखा शाखा)/ श्री राजीव रंजन कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास प्दाधिकारी, राजापाकर, वैशाली संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10.6.25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः- 4207594/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 13/06/2025

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10.6.25

संयुक्त सचिव